



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 22, 2010/आषाढ 31, 1932

No. 405]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 22, 2010/ASADHA 31, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 613(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय सूक्ष्मजीवों/आनुवंशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम, 1989 में, “आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “आनुवंशिक इंजीनियरी आंकलन समिति” शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 13/7/2007-सीएस-III]

हेम पांडे, संयुक्त सचिव

टिप्पण : परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम, 1989 भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. सा.का.नि. 1037(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जो अधिसूचना सं. का.आ. 677(अ), तारीख 13 सितम्बर, 1993 द्वारा प्रवृत्त किए गए और

अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 493(अ), तारीख 14 जुलाई, 2005, सा.का.नि. 616(अ), तारीख 20 सितम्बर, 2006, का.आ. 1519(अ), तारीख 23 अगस्त, 2007, का.आ. 411(अ), तारीख 25 फरवरी, 2008, का.आ. 2519(अ), तारीख 3 अक्टूबर, 2008, का.आ. 800(अ), तारीख 17 मार्च, 2009 और का.आ. 2884(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2009 और का.आ. 828(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2010 द्वारा उसमें पश्चात्पूर्ती संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2010

G.S.R. 613(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6, 8, and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rules for the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organisms/Genetically Engineered Organisms or Cells, Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organisms/Genetically Engineered Organisms or Cells, (Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the rules for the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organisms/Genetically Engineered Organisms or Cells, Rules, 1989, for the words “Genetic Engineering Approval Committee”,

wherever they occur, the words “Genetic Engineering Appraisal Committee” shall be substituted.

[No. 13/7/2007-CS-III]

HEM PANDE, Jt. Secy.

Note : The Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organisms/Genetically Engineered Organisms or Cells Rules, 1989 were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 1037(E), date the 5th December, 1989,

which came into force *vide* notification No. S.O. 677(E), dated the 13th September, 1993, and subsequently were amended *vide* notification numbers G.S.R. 493(E), dated the 14th July, 2005, G.S.R. 616(E), dated the 20th September, 2006, S.O. 1519(E), dated 23rd August, 2007, S.O. 411(E), dated 25th February, 2008, S.O. 2519(E), dated 3rd October, 2008, S.O. 800(E), dated 17th March, 2009 and S.O. 2884(E), dated 9th November, 2009 and S.O. 828(E), dated 5th April, 2010.